

मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना

(हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग)

आवेदन पत्र (हिमाचल प्रदेश)

सेवा में,

सचिव/प्रधान,

ग्राम पंचायत:

विकास खण्ड:

जिला:

विषय: मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना की सूची में परिवार का नाम शामिल करने हेतु आवेदन।

1. आवेदक एवं परिवार का विवरण

आवेदक (परिवार के मुखिया) का नाम:

पिता/पति का नाम:

लिंग: ☐ पुरुष ☐ महिला ☐ अन्य

पूर्ण पता:

आधार संख्या:

मोबाइल नंबर:

2. पात्रता / चयन के मानदंड (जो लागू हो, उस पर टिक करें)

(कृपया ध्यान दें कि मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना में चयन हेतु आपके परिवार का निम्नलिखित में से कम से कम एक श्रेणी में आना आवश्यक है)

- ☐ **अनाथ बच्चे एवं वृद्धजन:** परिवार में केवल 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं अथवा परिवार में केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन हैं व 27 से 59 वर्ष का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- ☐ **महिला मुखिया:** परिवार की मुखिया महिला (विधवा / अविवाहित / तलाकशुदा / परित्यक्त) है और परिवार में 27 से 59 वर्ष का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- ☐ **विकलांगता:** परिवार के मुखिया में 40 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता है।
- ☐ **मनरेगा कार्य:** परिवार के सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 01 दिन कार्य किया गया है।
- ☐ **गंभीर बीमारी:** कमाने वाला सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्राफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया जैसी बीमारी से पीड़ित होकर स्थायी रूप से अक्षम हो गया है।
- ☐ **रीढ़ की हड्डी में चोट:** कमाने वाला सदस्य किसी दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी चोटिल होने के कारण स्थायी रूप से निष्क्रिय/अशक्त (Bed ridden) हो गया है।
- ☐ **भूमिहीन:** परिवार पूरी तरह से भूमिहीन है।

3. बहिष्करण मानदंड (स्व-घोषणा)

(यदि आप नीचे दिए गए किसी भी बिंदु पर 'हाँ' टिक करते हैं तो आपका परिवार इस योजना के लिए अपात्र माना जाएगा)

मानदंड विवरण	हाँ	नहीं
1. क्या आपके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर (Income Tax) देता है?	☐	☐
2. क्या आपके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹75,000/- से अधिक है?	☐	☐
3. क्या आपके परिवार के पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि है?	☐	☐
4. क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी / अर्धसरकारी अथवा निजी नौकरी/सेवा में है?	☐	☐

4. आवश्यक दस्तावेज (जो साथ में संलग्न हैं)

- ☐ परिवार रजिस्टर की नकल
- ☐ आय प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
- ☐ भूमि सम्बंधित नकल (पटवारी द्वारा जारी)
- ☐ पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्र (जैसे: विकलांगता प्रमाण पत्र / चिकित्सा प्रमाण पत्र / मनरेगा जॉब कार्ड आदि, जो भी लागू हो)

5. शपथ / घोषणा पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी पूर्ण तरह सत्य और सही है। मुझे यह ज्ञात है कि केवल आवेदन करने या सर्वेक्षण में शामिल होने मात्र से मुझे मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना की सूची में शामिल होने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा; इसका अंतिम निर्धारण सरकार द्वारा तय नियमों और सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मेरा आवेदन रद्द किया जा सकता है।

दिनांक:

स्थान:

आवेदक/मुखिया के हस्ताक्षर / अंगूठे का
निशान